जालौन पुलिस

112 उत्तर प्रदेश पुलिस

Operation Conviction

चोरी के अभियोग में अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास एवं 14,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ द्वारा प्रारंभ की गई पैरवी अधिकारी स्कीम के अंतर्गत जालौन पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय (एडीजे एफटीसी कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया गया।

कोतवाली उरई पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1367/15 धारा 379/411/413/414 भादवि एवं मु0अ0सं0 1867/15 धारा 411/413/414/467/468/471/420 भादवि के अभियुक्त 1. सत्यदेव पुत्र नन्दराम निवासी पुराना रामनगर कोतवाली उरई को माननीय न्यायालय (एडीजे एफटीसी कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा दोनों अभियोगों में 03-03 वर्ष का कारावास एवं कुल 14,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री बृजराज सिंह राजपूत ADGC



प्र0नि0 मॉनिटरिंग सेल श्री परमहंस तिवारी



का0 प्रार्थना तिवारी कोर्ट मुहर्रिर

@jalaunpolice